कार्यालय आबकारी आयुक्त, उत्तराखण्ड देहरादून

संख्या : 205/सात लाई०-एस-143/ऑन लाईन व्यव०-2018-19/विज्ञप्ति/देहरादून दिनांक : अप्रैल 07, 2018

विज्ञप्ति

उत्तराखण्ड शासन, आबकारी अनुभाग की अधिसूचना 250/XXIII/2018/04(01)/2018: देहरादून:दिनांक 19-03-2018 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2018-19 (दिनांकः 01.04.2018 से 31.03.2019 तक) हेतु घोषित आबकारी नीति तथा पत्र संख्याः 383/XXIII/2018/04(01)2018/TC/देहरादून/दिनांकः 06.04.2018 के अनुसार सी0एल0-5सी (देशी शराब), एफ0एल0-5डी (विदेशी मदिरा एवं बियर) तथा एफ0एल0-5बी (बीयॅर) की फुटकर दुकानों का दिनांक 01.05.2018 से 31.03.2019 तक की अवधि हेतु व्यवस्थापन किया जाना है, जिसके लिए निम्नानुसार कार्यक्रम निर्धारित किया जाता है:-

क्र०सं०	विवरण	स्थान, दिनांक व समय
01	ऑन लाईन ऑफर प्रकाशन की तिथि	दिनांकः 11.04.2018 के पूर्वान्ह 11:00 बजे
02	प्री-बिड बैठक की तिथि एवं समय	दिनांकः 12.04.2018 के अपरान्ह 03:00 बजे से सम्बन्धित जिलाधिकारी/कलैक्टर कार्यालय
03	निविदा अभिलेख ई-पोर्टल पर उपलब्धता की समय सीमा	दिनांकः 11.04.2018 पूर्वान्ह 11:00 बजे से दिनांक 24.04.2018 के अपरान्ह 01:00 बजे तक
04	ऑन लाईन ऑफर www.uktenders.gov.in में अपलोड करने की तिथि एवं समय सीमा	दिनांकः 13.04.2018 के अपरान्ह 12:00 बजे से दिनांकः 24.04.2018 के अपरान्ह 02:00 बजे तक
05	सम्बन्धित जिला आबकारी अधिकारी कार्यालय में अभिलेख जमा करने की तिथि एवं समय सीमा	दिनांकः 13.04.2018 के अपरान्ह 12:00 बजे से दिनांकः 24.04.2018 के अपरान्ह 03:00 बजे तक
06	तकनीकी निविदा खोलने की तिथि एवं समय	दिनांकः 24.04.2018 के अपरान्ह 04:00 बजे सम्बन्धित जिलाधिकारी/कलैक्टर कार्यालय में
07	तकनीकी निविदा में सफल आवेदकों की सूची अपलोड करने की समय सीमा	दिनांकः 24.04.2018 के अपरान्ह 04:00 बजे से दिनांकः 25.04.2018 के साय् 05:00 बजे तक
08	वित्तीय निविदा खोलने की तिथि	दिनांकः 26.04.2018 के पूर्वान्ह 11:00 बजे से
09	वित्तीय निविदा में सफल आवेदकों की सूची अथवा रिपोर्ट अपलोड करने की समय सीमा	दिनांकः 26.04.2018 के पूर्वान्ह 11:00 से साय् 05:00 बजे तक
10	निविदा खोलने का स्थान	सम्बन्धित जिलाधिकारी/कलैक्टर कार्यालय
11	निविदा आमन्त्रित करने वाला अधिकारी	सम्बन्धित जिलाधिकारी/कलैक्टर

आवेदन/व्यवस्थापन से सम्बन्धित प्रकिया वैबसाईट www.uktenders.gov.in पर सम्पादित की जायेगी तथा समस्त मदिरा दुकानों हेतु उक्त वैबसाईट के माध्यम से ऑनलाईन ऑफर/आवेदन किया जा सकेगा। प्रत्येक आवेदक/ऑफरदाता को Digital Signature Certificate (DSC) भारत सरकार द्वारा अधिसूचित किसी भी एजेन्सी से अनिवार्य रूप से तैयार करनी होगी तथा www.uktenders.gov.in पर पंजीकरण करना होगा, जिसके माध्यम से वह मदिरा की दुकान हेतु आवेदन कर सकेगा। मदिरा की दुकान के व्यवस्थापन के सम्बन्ध में विस्तृत विवरण आबकारी विभाग की वैबसाईट www.uttrakhandexcise.org.in पर भी उपलब्ध कराया जा रहा है। इसके अतिरिक्त सम्बन्धित जिले के जिला आबकारी अधिकारी तथा मुख्यालय के अपर आबकारी आयुक्त, लाईसेंसिंग (दूरभाष नं०-7579098405) को नोडल अधिकारी नामित किया गया है, से भी जानकारी प्राप्त की जा सकती है।

आबकारी आयुक्त, उत्तराखण्ड